

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4218

दिनांक:- 03/06/2022


लोक सूचना

श्री हर्षवर्धन मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीणा, निवासी-17, दुर्गाविहार, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-जीतावाला तहसील-बरसी (जयपुर)	हर्षवर्धन मीणा पुत्र स्व. बाबूलाल मीणा	43	1.2266

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03/06/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	भूस.-26	स्कीम-16 व 16जी (श्री सिन्धु नगर गृ.निस. स.)	श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा	श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	सूची में अन्य किसी का नाम है।
2	भूस.-जी-9	स्कीम-16 व 16जी (श्री सिन्धु नगर गृ.निस. स.)	श्री भागचन्द पुत्र श्री रतनलाल	श्री भागचन्द पुत्र श्री रतनलाल	भूखण्ड सृजन बाबत।
3	भूस.-बी 76	मुरलीपुरा योजना	श्रीमती कनीज वानों पत्नी श्री बुन्दु खां	श्रीमती रामवती पत्नी श्री कलूरी हरिजन	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
4	भूस.-318	मुरलीपुरा योजना	श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री जुगल किशोर अग्रवाल	श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री अनूप चन्द जैन	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
5	भूस.-बी-23	मुरलीपुरा योजना	श्री हनुमान सिंह चौहान पुत्र श्री राधाकिशन सिंह	श्री गिर्राज सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह	मृत्यु एवं रजि. हकलियाग पत्र दस्तावेजों के आधार पर।
6	भूस.-1	बालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति गृ.नि.स.स.)	श्रीमति मनोरमा शर्मा पत्नी श्री हेमचन्द शर्मा	श्री गौरीशकर शर्मा पत्नी श्री झुथाराम शर्मा	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
7	भूस.-19	बालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति गृ.नि.स.स.)	श्री राकेश रावत एवं आकाश रावत पुत्र श्री चिरजीलाल रावत	श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री चिरजीलाल रावत	उत्तराधिकार का प्रकरण के सम्बन्ध में।
8	भूस.-13	बालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति गृ.नि.स.स.)	श्री सजीव कुमार खुटेटा व रविन्द्र कुमार खुटेटा पुत्र श्री सावरमल खुटेटा	श्रीमती हीरादेवी पत्नी श्री सावरमल खुटेटा	उत्तराधिकार का प्रकरण होने के सम्बन्ध में।
9	भूस.-22	प्रताप नगर विस्तार (श्री छत्रपति गृ.नि.स.स.)	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री बिरदीचन्द मीणा	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री बिरदीचन्द मीणा	मूल दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर।
10	खसरा नम्बर 653, 665, 667, 670/1225, 671/1226	लोहामण्डी योजना	श्री ओमप्रकाश व उमराव पुत्रान् प्रभात रैगर	श्री ओमप्रकाश व उमराव पुत्रान् प्रभात रैगर	आरक्षण पत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में।
11	659, 659/1138	लोहामण्डी योजना	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री निवास अग्रवाल	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री निवास अग्रवाल	आरक्षण पत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1570

दिनांक:- 3/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार/आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	51	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्री केशव देव आर्य पुत्र स्व० श्री मनमोहन आर्य	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा०लि० डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1998 की मूल प्रति गुम होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट एवं सत्य प्रतिलिपि के आधार पर पट्टा जारी करने बाबत।
2	आरक्षण पत्र क्रमांक डी-541 दिनांक 16.02.2008	वेस्ट वे हाईट्स (जविप्रा योजना)	श्री कैलाश चन्द शर्मा, हनुमान सहाय पुत्रान् श्री धन्ना	श्री धन्ना लाल पुत्र श्री भैरूलाल	श्री धन्नालाल पुत्र श्री भैरूलाल की मृत्यु के उपरांत पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 15.11.2018 के आधार पर आरक्षण पत्र क्रमांक डी-541 दिनांक 16.02.2008 का नाम हस्तान्तरण करने बाबत।

PROR-562

6-6-22

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- (+91-141-2572515) ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेशन: 11; फैक्स- +91-141-2574555

D-Drive/Zone-8/Kailash/Amrit j/Letter



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 3105 दिनांक:- 3.6.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती कंचन गोयल पत्नी श्री अजीत गोयल (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C-6	557.50
2	श्रीमती माया देवी शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	38	200.00
3	श्री गिरिराज चौधरी पुत्र श्री यशराज चौधरी (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C-26	312.8
4	श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री सुधीर गुप्ता (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	47	200.00
5	अर्चना ग्रोवर एवं अजय कालरा पुत्र श्री योगेश ग्रोवर एवं रतनलाल कालरा (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	46	200.00
6	श्री सुनील कुमार दहिया पुत्र श्री आर.के. दहिया (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	18	160.00
7	कुशुम लता पुत्री श्री आर.के. दहिया (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	19	170.00
8	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री केदारलाल गर्ग (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C-23	192.00
9	रिचा चौपडा पुत्री श्री सुनील चौपडा (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	26	351.00
10	श्री कैलाश चन्द चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	20	210.00
11	श्री नारायण जाट पुत्र श्री मंगल जाट (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C-10	565.00
12	समता रानी पत्नी श्री अजय कुमार शर्मा (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	41-A	50.00
13	रेणु पत्नी श्री जगदीप दहिया (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	23	194.24
14	श्री महेश गुप्ता बनवारी लाल गुप्ता (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	22	225.00


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी-1119

दिनांक 6-06-2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	592	महावीर नगर प्रथम	श्री शैलेश सक्सेना पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण सक्सेना	श्री सत्य नारायण सक्सेना पुत्र स्व. प्रयाग नारायण सक्सेना	पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र
2	592	महावीर नगर प्रथम	श्री राजेश भारतीया सक्सेना पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण सक्सेना	श्री सत्य नारायण सक्सेना पुत्र स्व. प्रयाग नारायण सक्सेना	पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र
3	106 पश्चिमी भाग	मॉडल टाउन ए	श्री सुनील जैन, सुधीर जैन एवं सुदेश जैन पुत्रान स्व. श्री फतेह चन्द जैन	श्रीमती शर्बत देवी पत्नी श्री फतेह चन्द जैन	मृत्यु प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 3192

दिनांक:-6-6-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया है। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बी-117	88.88 वर्ग गज	विनायक रेजिडेन्सी बी ब्लॉक	रीना जैन पत्नी श्री विनित गंगवाल	रीना जैन पत्नी श्री विनित गंगवाल	मुल लीजडीड प्रपत्र गुम हो जाने के कारण प्रमाणित प्रति, एफआईआर, शपथ पत्र प्रस्तुत

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करारें।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर

परी-557
6.6.22

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3191

दिनांक- 4-6-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-249	331.66 व.ग.	शिक्षा विहार	श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री हीराराम	श्री बुद्धराम मीना पुत्र श्री रामफल मीना	सदस्यता सूची में नाम नहीं।
2	डी-98	270.00 व.मी.	सैन्ट्रल स्पाईन	तीर्थेश प्रोपर्टीज एण्ड डवलपर्स	श्री आन्नद काबरा पुत्र श्री राधेश्याम काबरा	मूल दस्तावेज गुम
3	एस-6 एस-11	355.55 व.ग. 217.17 व.ग.	रामनगरिया साउथ-ए	श्री गंगवाल रियल एस्टेट एलएलपी जरिये पार्टनर श्रीमती कुसुम गंगवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	श्री गंगवाल रियल एस्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्रीमती संध्या गंगवाल	मूल दस्तावेज गुम

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2022/डी-2524

दिनांक 3.1.6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	I-867	90 व.मी.	श्री संजय कुमार मीना पुत्र श्री दौलतराम, निवासी ग्राम पो0 मैनपुरा, तहसील जिला सवाई माधोपुर	जविप्रा	अभिनव विहार विस्तार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

21-
उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

sd/
उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4218

दिनांक:- 03/06/2022


लोक सूचना

श्री हर्षवर्धन मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीणा, निवासी-17, दुर्गाविहार, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-जीतावाला तहसील-बरसी (जयपुर)	हर्षवर्धन मीणा पुत्र स्व. बाबूलाल मीणा	43	1.2266

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03/06/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2021-22/101539

दिनांक:- 03/06/2022

लोक सूचना


श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री हरिनारायण माण्ड्या जाति जाट निवासी- शिव महिमा सदन, माण्ड्या की ढाणी, रेनवाल मांडी, चित्तौड़ा, तह. फागी, जिला जयपुर, राजस्थान
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का वाणिज्य (पेट्रोल पम्प) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
ग्राम रेनवाल, तह. फागी (जिला जयपुर)	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री हरिनारायण माण्ड्या	3784/2197	0.1660 में से 0.036182
		3786/2194	0.1613 में से 0.023878
		किता-02	0.0600 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।


उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **03/06/2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री हरिनारायण माण्ड्या, निवासी- शिव महिमा सदन, माण्ड्या की ढाणी, रेनवाल मांडी, चित्तौड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।
- रक्षित पत्रावली।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-558
6/6/22

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-1713

दिनांक: 3/6/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहरताक्षरकर्ता के रागड़ जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	भूस-26	स्कीम-16 व 16जी (श्री सिन्धु नगर मू.निस.स.)	श्री कैलारा चन्द गीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल गीणा	श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	सूची में अन्य किसी का नाम है।
2	भूस-जी-9	स्कीम-16 व 16जी (श्री सिन्धु नगर मू.निस.स.)	श्री भागचन्द पुत्र श्री रतनलाल	श्री भागचन्द पुत्र श्री रतनलाल	भूखण्ड रूजन बाबत।
3	भूस-बी 76	गुरलीपुरा योजना	श्रीमती कनीज बानो पत्नी श्री वृण्ड खां	श्रीमती रामवती पत्नी श्री कलूरी हरिजन	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
4	भूस-318	गुरलीपुरा योजना	श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री जुगल किशोर अग्रवाल	श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री अनूप चन्द जैन	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
5	भूस-बी-23	गुरलीपुरा योजना	श्री हनुमान सिंह चौहान पुत्र श्री राधाकिशान सिंह	श्री गिराज सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह	मृत्यु एव रजि. हकत्याग पत्र दस्तावेजों के आधार पर।
6	भूस-1	वालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति मू.निस.स.)	श्रीमति मनोरमा शर्मा पत्नी श्री हेमचन्द शर्मा	श्री गोरीशकर शर्मा पत्नी श्री जूथाराम शर्मा	अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
7	भूस-19	वालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति मू.निस.स.)	श्री राकेश रावत एव आकाश रावत पुत्र श्री विरजीलाल रावत	श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री विरजीलाल रावत	उत्तराधिकार का प्रकरण के सम्बन्ध में।
8	भूस-13	वालाजी विहार 15 विस्तार (श्री गणपति मू.निस.स.)	श्री सतीश कुमार खुटेडा व रविन्द्र कुमार खुटेडा पुत्र श्री राधमल खुटेडा	श्रीमती हीरादेवी पत्नी श्री राधमल खुटेडा	उत्तराधिकार का प्रकरण होने के सम्बन्ध में।
9	भूस-22	प्रधान नगर विस्तार (श्री गणपति मू.निस.स.)	श्री बाबूलाल गीणा पुत्र श्री विरदीचन्द गीणा	श्री बाबूलाल गीणा पुत्र श्री विरदीचन्द गीणा	मूल दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर।
10	राशरा नम्बर 653, 665, 667, 670/1225, 671/1226	लोहागण्डो योजना	श्री ओमप्रकाश व उमराव पुत्रान प्रभात रैगर	श्री ओमप्रकाश व उमराव पुत्रान प्रभात रैगर	आरक्षण पत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में।
11	659, 659/1138	लोहागण्डो योजना	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री निवास अग्रवाल	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री निवास अग्रवाल	आरक्षण पत्र की आपत्ति के सम्बन्ध में।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्कित, जवाहर ताल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष: (+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी-4232

दिनांक:- 6/6/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	बी-53	266.66 वर्गगज	श्रीमती उषा खण्डेलवाल	निजी खातेदारी	त्रिवेणी नगर ए-बी	नामहस्तांतरण
2	बी-54	266.66 वर्गगज	पत्नी श्री किशन खण्डेलवाल			
3	बी-55	279.62 वर्गगज				
4	बी-56	292.95 वर्गगज				
5	बी-57	266.66 वर्गगज				
6	बी-58	266.66 वर्गगज				

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर